

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग

RESERVE BANK OF INDIA

Department of Supervision



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या **N-13.02464**
No.

Issued in lieu of CoR
No B.01.00604
Dated January 21, 2019
(shifted from Ahmedabad RO)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **वेस्टर्न केपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड** को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन मुंबई
में अगस्त दो हजार तेईस की अट्ठाईसवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Mumbai
this Twenty Eighth day of August Two Thousand Twenty Three



(अवधेश कुमार कुरील / Awadhesh Kumar Kureel)

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक
General Manager / Deputy General Manager